73

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1127 प्रकरण कमांक /2018 निगरानी/विदिशा

1. इब्राहिम खॉ पुत्र श्री मुंशी खॉ
2. श्रीमती फरजाना पत्नी श्री इब्राहिम खॉ निवासीगण– ग्राम हरसद्दूखेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा, म0प्र0

——निगरानीकर्ता

बनाम

श्री प्रभात सिंह जादौन, अभि0 द्वारा आज दि0 13-2-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-2-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 13-2-18

1. रामबाई पत्नी श्री प्रहलाद सिंह जाति दांगी निवासी– ग्राम गिटोला, तहसील कुरवाई जिला विदिशा, म0प्र0

——मूल प्रतिनिगरानीकर्ता

3. सुजान सिंह पुत्र श्री विहारीलाल जाति काछी
4. मूलचन्द्र पुत्र श्री विहारीलाल जाति काछी
5. इस्माईल खॉ पुत्र श्री बाबू खॉ जाति मुसलमान
6. मुंशी खॉ पुत्र श्री काले खॉ जाति मुसलमान निवासीगण– ग्राम हरसद्दूखेड़ी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा
7. दौलत सिंह पुत्र श्री रतिराम जाति काछी निवासी– ग्राम भैसवाया तहसील कुरवाई, जिला विदिशा
8. कल्यान सिंह पुत्र श्री विहारीलाल जाति काछी
9. भज्जी पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जाति कुर्मी
10. अमर सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह जाति कुर्मी, धन्धा– काश्तकारी,

निवासीगण– ग्राम हरसद्दूखेड़ी, तहसील कुरवाई जिला विदिशा

11. अशोक सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति कुर्मी, धन्धा– खेती, निवासी– ग्राम भैसवाया तहसील कुरवाई जिला विदिशा

––तरतीवी प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 12/01/2018 जो अपर आयुक्त भोपाल, सम्भाग, भोपाल, म0प्र0 (पीठासीन अधिकारी श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा) द्वारा प्रकरण कमांक 317/अपील/11–12 व उनवान इब्राहिम खॉ आदि बनाम श्रीमती रामबाई आदि ।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1127 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रभात झा उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में 20 साल पुरानी रजिस्ट्रियों से रकवा कम किया जा रहा है इसलिए यह प्रकरण सिविल क्षेत्राधिकार का है जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। परिणामत: यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	